बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या–3/स्था० रा० अ० नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा० पटना–15, दिनांक– 23 /09/2016

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–110/2010) के आधार पर अनुशंसित तथा समादेशवाद संख्या–20879/13 बलवन्त सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के Observation तथा पारित आदेश दिनांक–21.08.2015 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा संशोधित अनुशंसा सूची के पत्रांक–2820, दिनांक–25.08.14 में निहित अनुशंसाओं के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निम्न अनुशंसित अभ्यर्थी को निम्न सारणी के स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं कार्यालय में राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर औपबंधित रूप से वेतनमान (पी0बी0 2)रू0 9300–34800+ग्रेड पे –रू0 4200=00 एवं समय–समय पर अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :–

नाम/स्थायी पता	गृह जिला	बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अनुक्रमांक	नियुक्ति का पद एवं कार्यालय का नाम
1	2	3	4
श्री संजय कुमार, पिता–श्री राम बिलास शर्मा, ग्राम+पो0–निनगा, थाना–बरौनी, जिला–बेगूसराय, पिन–851112	बेगूसराय	12630086	राजस्व अधिकारी, खगड़िया सदर अंचल, खगड़िया

2. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उद्यम में नियुक्त होने की स्थिति में श्री कुमार द्वारा अपने पूर्व नियोक्ता से विरमित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही उनका योगदान नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

3. श्री कुमार द्वारा इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के पश्चात नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से कराने के पश्चात ही श्री कुमार के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

4. श्री कुमार की औपबंधित नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जा रही है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी। यह नियुक्ति औपबंधित रूप से छः माह के लिए की जा रही है। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनकी सेवा अगले छः माह के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा जब तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही उनका नियमितीकरण विचारणीय होगा।

5. श्री कुमार की नियुक्ति अस्थायी होगी, जो किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तथा बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

6. श्री कुमार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने सम्बन्धी घोषण–पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

7. बिहार सेवा संहिता के नियम–52 के अन्तर्गत श्री कुमार जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

P.T.O.

8. श्री कुमार की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी तथा उनकी वरीयता, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

9. श्री कुमार के प्रमाण–पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

10. नियंत्री पदाधिकारी श्री कुमार की फोटो युक्त दो सेवापुस्त तैयार कर दोनों प्रति–नियुक्ति पदाधिकारी को भेजते हुए उसका सत्यापन 3 माह के अन्दर निश्चित रूप से करा लेंगे।

11. श्री कुमार के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांकः–3/स्था0 रा0 अ0 नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक– 23-09-16

निबंधित

प्रतिलिपिः–श्री संजय कुमार, पिता–श्री राम बिलास शर्मा, ग्राम+पो0–निनगा, थाना–बरौनी, जिला–बेगूसराय, पिन–851112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांकः–3/स्था0 रा0 अ0 नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक– 23-09-16

फैक्स/ ई–मेल

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांकः–3/स्था0 रा0 अ0 नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक– 23-09-16

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांकः–3/स्था0 रा0 अ0 नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक– 23-09-16

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांकः–3/स्था0 रा0 अ0 नियुक्ति–24/2015– 432 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक– 23-09-16

प्रतिलिपिः–प्रबंधक, सूचना प्रौधोगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/9/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।